न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00162 (63/2018) राज. उप. (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23

सावित्री देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री पदमाराम आयु. 65 वर्ष जाति जाट, निवासी बड़ोपल जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।
2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबनधक, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ –रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध आदेश दिनांक 13.02.2018 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा प्रकरण संख्या 89/2017 बअनवानी तहसीलदार बनाम सावित्री देवी

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरणसिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांकः–30.10.2019

1. सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा द्वारा एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1236 रकबा 2.554 है. व 1214 में 6.300 है0 भूमि सावित्री देवी पत्नी पदमाराम जाति जाट के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज। सम्वत 2050 की जमाबंदी में उक्त रकबा घग्घर व वनविभाग के नाम दर्ज है। घग्घर का रकबा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस बी रिट 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में प्रतिबंधित है। वन विभाग की भूमि किसी अन्य को आवटित नहीं की जा सकती है तथा जो भूमि घग्घर जलभराव की भूमि है वो राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित भूमि है। इस भूमि को बिना किसी जांच के आवंटन किया गया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरूद्ध किया गया है अतः आवंटन को रद्द किया जावे। विचारण न्यायलाय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय पारित किया है। मूल आवंटन पत्रावली तलब किये बगैर एवं पूर्ण जांच किये बगैर गलत दस्तावेजात के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। आवंटन अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच कर भूमि पुख्ता आवंटित की गई थी। भूमि की

सनद खातेदारी लेते समय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच कर सनद खातेदारी जारी की थी इसलिए कयास के आधार पर रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर अहम कानूनी भूल की है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का 2000 से लगातार कब्जा काश्त है। बिना किसी तथ्य के आधार पर एवं जांच करवाये बगैर ऐसा आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रकरण पर नियम 21 के प्रावधान लागू होते है। आवंटन के विरूद्ध प्राथी को नियम 30 के प्रावधानों के विरूद्ध अपील करने का प्रावधान हैं जिसकी मियाद 30 दिन है इसलिए आवंटन आदेश अन्तिम हो चुका है जिसके विरूद्ध रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी ने कोई कार्यवाही नहीं की है। आवंटन किस प्रकार नियम विरूद्ध है इसका कोई साक्ष्य पेश नही किया है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट को टीसी पर आवंटन थी जो नवीनीकरण होती रही बाद में इस भूमि को टीसी धारक होने के कारण पुख्ता आवंटन की गई है। टीसी धारक होने के कारण अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि को आवंटन कराने का हकदार था। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का आज भी कब्जा काश्त है। प्रश्नगत भूमि न तो घग्घर फ्लड की है व ना ही जलप्रवाह क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बल्कि इस भूमि पर हमेशा काश्त होती रही है। घग्घर बहाव क्षेत्र से काफी दूर है। आवंटी द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21 के अन्तर्गत भी कोई आवंटन उसी स्थिति में खारिज हो सकता है जबकि आवंटी ने कोई तथ्य छिपाये हों। आवंटी ने कोई तथ्य नहीं छिपाये हैं। यह रकबा वर्तमान में बींझा देवी के नाम दर्ज है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2011 (1) आरआरटी पेज 602, 2005 (1) आरआरटी पेज 588, 2018 (1) आरआरटी पेज 299, 2018 (2) आरआरटी पेज 1007 एचसी, 2019 (1) आरआरटी पेज 226, 2016–17 आरआरटी पेज 242 व पेज 304, 2018 (1) आरआरटी पेज 152 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1236 रकबा 2.554 है. व 1214 में 6.300 है0 भूमि सावित्री देवी पत्नी पदमाराम जाति जाट के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज। सम्वत 2050 की जमाबंदी में उक्त रकबा घग्घर व वनविभाग के नाम दर्ज है। घग्घर का रकबा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस बी रिट 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में प्रतिबंधित है। वन विभाग की भूमि किसी अन्य को आवटित नहीं की जा सकती है तथा जो भूमि घग्घर जलभराव की भूमि है वो राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित भूमि है। इस भूमि को बिना किसी जांच के आवंटन किया गया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरूद्ध किया गया था जो खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष अभिभाषक गण की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।
6. रेस्पोडेण्ट संख्या 1/प्रार्थी के आवेदन पर विचारण न्यायालय ने ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1237 का 2.554 व ख. नं. 1214 का 6.300 है. घग्घर एवं वनविभाग के नाम दर्ज होने के कारण प्रश्नगत आवंटन को निरस्त किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि यह भूमि घग्घर एवं वन विभाग के नाम से दर्ज नहीं है लेकिन प्रश्नगत भूमि घग्घर एवं वन विभाग के नाम है, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी खतौनी संवत 2050 से होती है। **प्रश्नगत भूमि घग्घर एवं वन विभाग के नाम दर्ज है एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.रिट सं0 1536/03**

अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में भी प्रतिबंधित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी यह प्रतिबंधित है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रश्नगत संवत 2050 में घग्घर एवं वन विभाग के नाम दर्ज न हो। संवत 2050 से पूर्व की कोई जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न तथ्यों पर आधारित होने क कारण चस्पा नही होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि घग्घर फ्लड के नाम दर्ज होने के कारण तथ्यों को छुपाकर कराया गया आवंटन मानते हुए आवंटन निरस्त किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.02.2018 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.27 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: